(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2687–तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 16–7–2014 पारित द्वारा तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 74/ए–74/2013–14

1. श्रीमती अहिल्या देवी पत्नी श्री रामकृपाल पयासी
2. संतोष कुमार पयासी पिता श्री रामकृपाल पयासी
3. श्रीमती प्रमिला पत्नी संतोष कुमार पयासी
   सभी निवासी हाटा तहसील हनुमना जिला रीवा

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1. लालमणि पयासी तनय श्री वासुदेव रामपयासी
2. श्याम सुन्दर पयासी श्री वासुदेव रामपयासी
3. रजनीस कुमार मिश्रा (पयासी) तनय श्री लालमणि प्रसाद पयासी
   सभी निवासी हाटा तहसील हनुमना जिला रीवा

——— अनावेदकगण

.....

श्री शशि पाण्डे, अभिभाषक आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12 जून 2015 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार हनुमना जिला रीवा के प्रकरण कमांक 74/ए–74/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 16–7–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ आवेदक अभिभाषक श्री शशि पाण्डे द्वारा तर्क में कहा कि तहसीलदार द्वारा नक्शा तरमीम संबंधी आदेश दिनांक 22–4–14 को पारित किया गया था । अनावेदकों द्वारा संहिता की धारा 51 के अर्न्तगत पुनर्विलोकन आवेदन प्रकरण तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार ने आदेश दिनांक 16–7–14 को आदेश पारित करते हुये अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन को दर्ज करने एवं आवेदकगण को आहूत किये जाने के त्रुटिपूर्ण आदेश किया। तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न आदेश की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया। आदेश की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 16–7–2014 के अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण को ग्राह्य किया है, जो म0प्र0भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 का स्पष्टतः उल्लंघन है। संहिता की धारा 51(1) के परन्तुक (एक) में स्पष्ट प्रावधानित किया गया है कि

''यदि आयुक्त, बंदोबस्त आयुक्त, कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो कि उसने स्वयं पारित न किया हो, पुनर्विलोकन करना आवश्यक समझता है, तो वह पहले मंडल की मंजूरी अभिप्राप्त करेगा, और यदि कलेक्टर या बंदोबस्त अधिकारी के अधीनस्थ कोई अधिकारी किसी ऐसे आदेश का, जो चाहे स्वयं या उसके किसी पूर्वाधिकारी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन करने की प्रस्थापना करता है, तो वह पहले उस प्राधिकारी की, जिससे कि वह ठीक अधीनस्थ है, लिखित मंजूरी अभिप्राप्त करेगा।''

स्पष्ट है कि तहसीलदार को प्रकरण को ग्राह्य करने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी से लिखित मंजूरी प्राप्त करना चाहिए थी जो कि उसके द्वारा नहीं

की गई है। दर्शित परिस्थितियों में निगरानी स्वीकार की जाती है तहसीलदार का आदेश दिनांक 16–7–2014 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि सर्वप्रथम अनुविभागीय अधिकारी से प्रकरण की लिखित मंजूरी प्राप्त करने हेतु कार्यवाही करे।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर